

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग

कमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019


जयपुर, दिनांक . 10.06.2019

आदेश

विभाग के स्थानान्तरण आदेशों के विरुद्ध मा. राजस्थान उच्च न्यायालय/मा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के द्वारा स्थगन आदेशों की पालना में निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम व पद	मा. न्यायालय/मा. अधिकरण में दायर अपील संख्या व स्थगन आदेश दिनांक	स्थानान्तरण कहां से कहा किया गया	विशेष विवरण
1	डा. कैलाश चन्द कुमावत, चिकित्सा अधिकारी	मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर 843/ 2019 दिनांक 11.04.2019	आदेश दिनांक 08.03.2019 के क्रम संख्या 19 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इटावा भोपजी जयपुर से सिटी डिस्पेंसरी छपर चूरु	मा. अधिकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा कैलाश चन्द कुमावत, चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इटावा भोपजी जयपुर में कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है।
2	डा. देवेन्द्र झालानी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर 776/ 2019 दिनांक 11.04.2019	आदेश दिनांक 07.03.2019 के क्रम संख्या 151 के द्वारा पीएचसी मण्डावरा सुल्तानपुर कोटा से जिला चिकित्सालय सिराही	मा. अधिकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. देवेन्द्र झालानी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान पीएचसी मण्डावरा सुल्तानपुर कोटा में कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है।
3	डा. महेश कुमार शर्मा, चिकित्सा अधिकारी	मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर 982/ 2019 दिनांक 29.04.2019	आदेश दिनांक 08.03.2019 के क्रम संख्या 90 के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंधी, जयपुर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवराना, जयपुर	मा. अधिकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. महेश कुमार शर्मा, चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंधी, जयपुर में कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है।
4	डा. राजेश कुमार बिजारणियां, चिकित्सा अधिकारी	मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर 911/ 2019 दिनांक 18.04.2019	आदेश दिनांक 09.03.2019 के क्रम संख्या 2 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसोला, प्रतापगढ़ से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरनोद, प्रतापगढ़	मा. अधिकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. राजेश कुमार बिजारणियां, चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसोला, प्रतापगढ़ में कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है।
5	डा. रवि प्रकाश, चिकित्सा अधिकारी	मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एस बी सिविल रिट नम्बर 4360/2019 दिनांक 25.03.2019	आदेश दिनांक 07.03.2019 के क्रम संख्या 304 के द्वारा सीएचसी बनाड, जोधपुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलाडा, जोधपुर	मा. न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा रवि प्रकाश, चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान सीएचसी बनाड, जोधपुर में कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा पर,




(रंजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरत स्थगन आदेशों को शीघ्र वैकैट कराने की कार्यवाही करावे।
- 4- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन,
- 5- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय/सैटेलाईट चिकित्सालय, राज.
- 6- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
- 7- संबंधित अधिकारी
- 8- कम्प्यूटर सैल/रक्षित पत्रावली



(ओ. पी. वर्मा)

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार


निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चिअ./ए से जेड/2019/599

दिनांक : 11/6/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 सम्बन्धित अधीक्षक।
- 3 सम्बन्धित सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
- 4 सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
- 5 सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/जिला चिकित्सालय/सैटेलाईट चिकित्सालय।
- 6 अति० प्रशासनिक अधिकारी, ए टी सी अनुभाग राजपत्रित मुख्यालय।
- 7 उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
- 8 सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
- 9 सम्बन्धित चिकित्सको को पालनार्थ।
- 10 सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 11 रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।